



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

27256-216

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

/2016 जिला दतिया

जयेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व० फेरन सिंह

रावत

निवासी रामनगर कॉलोनी दतिया म०प्र०

.....आवेदक

श्री कै. वि. क. शर्मा
द्वारा आज दि 19-12-16 को
प्रस्तुत

818
19/12/16
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ

स्टाम्पस दतिया म०प्र०

.....अनावेदक

कै. वि. क. शर्मा (203 वॉकेट)
19/12/16

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 73/सी-132/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2016 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न लिखित निवेदन है :-

- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा आवेदक के प्रकरण में जो आदेश दिनांक 07/12/2016 को पारित किया गया है वह अवैध अनूचित एवं विधि के अपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया के न्यायालय में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 03/09/2016 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि केता श्री दिनेश पुत्र श्री राधेश्याम सोनी निवासी मडिया के महादेव की गली दतिया तह. व जिला दतिया द्वारा विक्रेता जगदीश साहू पुत्र

19/12/16
शाखा प्रशासक (रा.अ.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

16/3/18

आवेदन का कथितकता
 श्री सुवरसिंह कुशवाह अनुपस्थित
 है, आवेदन स्वयं श्री अनुपस्थित
 है। समय - समय पर तीन
 बार कावाज नगवाह गई।
 आवेदन को कोर्ट से कोर्ट उपस्थित
 नहीं होने से प्रकरणा कदम चरकी
 में समाप्त विभा जाता है। कमिश्नर
 कोर्टाज जावे प्रकरणा फ. रि. हा

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सचिव

[क. प. उ.]